

प्रेषक,

मोनिका एस. गर्ग
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक,

उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज ।

2. कुलपति,

समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 08 फरवरी, 2021

विषय:- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 5240/सत्तर-3-2020 दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप लगभग 150 विषय विशेषज्ञों द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाजइरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर पाठ्यक्रमों को तैयार कर लिया गया है तथा सभी हितधारकों की राय जानने के लिए उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020>) पर उसे उपलब्ध कराया गया है। उचित फीडबैक एवं सुझाव को सम्मिलित करते हुये अन्तिम पाठ्यक्रम इस माह के अन्त तक विश्वविद्यालयों को भेजा जाना प्रस्तावित है, ताकि वे विद्या परिषद, कार्यपरिषद आदि में इस पर विचार करके तथा इसमें आवश्यकतानुरूप अधिकतम 30 % तक परिवर्तन कर आगामी सत्र (1 जुलाई, 2021) से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में नये पाठ्यक्रमों का संचालन सुनिश्चित कर सकें।

2- प्रथम फेज में स्नातक स्तर के कला एवं मानविकी के 16, भाषा के 04, विज्ञान के 09, वाणिज्य, बी0एड एवं प्रबन्धन के सभी विषयों के साथ-साथ 06 अनिवार्य विषयों के पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिये गये हैं। अभी तक 202 फीडबैक प्राप्त हुए हैं(सूची संलग्न) जिनपर विषय विशेषज्ञ समूहों द्वारा विचार किया जा रहा है।

3- स्नातक कार्यक्रमों की समेकित संरचना हेतु कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रबंधन, कानून और कृषि के संकायों की समस्त उपाधियाँ (डिग्रियाँ) इस संरचना में सम्मिलित हैं, जैसे- बी.ए., बी.एससी., बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.ए.एल.एल.बी., बी.ए.बी.एड. आदि। इस संरचना में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा और अन्य राज्य/राष्ट्रीय नियामक निकायों द्वारा विनियमित अन्य तकनीकी विषयों को सम्मिलित नहीं किया गया है। छात्रों का

लक्षित आयु समूह 18-23 वर्ष है, लेकिन यह जीवन में किसी भी आयु में किसी भी आग्रही व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करती है।

4- 12 वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा कार्यक्रम के पहले वर्ष में प्रवेश लेने के लिए इच्छुक छात्र को प्रथम वर्ष के लिए दो मुख्य (Major) विषयों के साथ एक संकाय का चुनाव करना होगा। इस चुनाव के लिए संकाय विशेष के सन्दर्भ में पूर्व पात्रता (pre-requisites) की आवश्यकता होगी। दो प्रमुख विषयों के अलावा उन्हें प्रत्येक सेमेस्टर में किसी भी अन्य संकाय के एक और मुख्य (Major) विषय का चुनाव करना होगा। इसके साथ ही एक गौण विषय किसी अन्य संकाय से, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (अपनी अभिरुचि के अनुसार) तथा एक अनिवार्य सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

5- नये पाठ्यक्रम की विशेषताएं:-

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति एवं विषय विशेषज्ञों के साथ कई ऑनलाइन ओरियंटेशन प्रोग्राम किए गए, जिसमें सभी विषय विशेषज्ञों की जिज्ञासाओं एवं शंकाओं का समाधान किया गया। तत्क्रम में पाठ्यक्रम समितियों द्वारा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों को समाहित करते हुए एक समान संरचना पर तैयार किये गये हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं निम्नवत् हैं:-

- लचीलापन लाना (व्यावहारिक सुगमतापूर्ण)
- स्नातक एवं परास्नातक कार्यक्रमों की योजना बनाना
- किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश लेने सम्बन्धी विकल्प
- बहुविषयक दृष्टिकोण
- विभिन्न कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की पुनः संरचना करना
- क्रेडिट की हस्तांतरणीयता
- अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए बी सी)
- नये पाठ्यक्रम में विद्यार्थी आसानी से विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश और निकास (Re Exit-entry) कर सकेंगे, छात्र एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में बिना किसी समस्या के आसानी से क्रेडिट ट्रांसफर द्वारा के द्वारा स्थानांतरित होकर अपनी डिग्री ले सकेंगे।
- विद्यार्थी बहु-विषयक, मेजर एवं माइनर विषयों के साथ साथ ऐच्छिक एवं अनिवार्य विषय का अध्ययन करेंगे।
- सभी विषयों की पहली यूनिट में पहला पाठ संबंधित विषय की भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित रखा गया है।
- विद्यार्थियों को मुख्य विषय के साथ-साथ, रोजगार परक पाठ्यक्रम तथा कतिपय अनिवार्य विषय यथा मानवीय मूल्य एवं सतत् विकास (Human Values and sustainable development), स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता, डिजिटल जागरूकता,

व्यक्तित्व विकास, कम्युनिकेशन स्किलस का भी अध्ययन करना होगा ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो सके तथा उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो ।

- नए पाठ्यक्रम में गैर-प्रायोगिक (Non practical) विषयों में भी व्यवहारिक ज्ञान एवं प्रैक्टिकल जोड़ा गया है, जैसे भाषाओं के पाठ्यक्रम में अनुवाद, रूपान्तरण, स्क्रिप्ट राइटिंग, फोनिक्स, अनुवाद, लैंग्वेज लैब आदि को समावेश किया गया है ।
- स्नातक प्रथम वर्ष से ही शोध को बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों के प्रथम वर्ष में रिसर्च ओरियंटेशन को जोड़ा गया है तथा स्नातक तृतीय वर्ष में रिसर्च प्रोजेक्ट को भी जोड़ा गया है। अपनी भाषा में शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए शोध कार्य से संबंधित भाग में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल को समान महत्व दिया गया है ।

6- Choice Based Credit System (CBCS):-

- च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के अन्तर्गत स्नातक कार्यक्रम के पहले तीन वर्षों में 06 सह-शैक्षणिक पाठ्यक्रम पूर्ण किये जाने हैं जो प्रत्येक 02 क्रेडिट के होंगे। यह पाठ्यक्रम सभी स्नातक के छात्रों के लिए उपलब्ध एवं अनिवार्य होंगे।
- एक सेमेस्टर में कम से कम 15 सप्ताह होंगे, जिसमें कम से कम 90 शिक्षण दिवस होंगे।
- एक क्रेडिट प्रति सप्ताह एक घण्टे के व्याख्यान (प्रायोगिक कार्य के लिए 2 घण्टे) के बराबर है, यथा-चार क्रेडिट का पाठ्यक्रम एक सेमेस्टर में कुल 60 घण्टे के व्याख्यान के बराबर होगा।
- प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत होगा, जैसा कि विश्वविद्यालय शैक्षणिक परिषद द्वारा तय किया जायेगा।
- साधारणतया पेपर उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक होंगे तथा वर्षोपरान्त उपाधि प्राप्त करने के लिए न्यूनतम क्रेडिट होंगे। जैसे कि एक वर्षीय सर्टिफिकेट के लिए न्यूनतम 46 क्रेडिट, दो वर्षीय डिप्लोमा के लिए न्यूनतम 92 क्रेडिट तथा स्नातक डिग्री के लिए 138 क्रेडिट अर्जित करने होंगे।
- कुल मूल्यांकन = 75% बाह्य (विश्वविद्यालय परीक्षा द्वारा)+25% आन्तरिक (सतत मूल्यांकन)।
- वर्ष के अन्त में परिणाम मेजर, माइनर, वोकेशनल व को-करिकुलर सभी प्रकार के कोर्स पर आधारित होगा।
- सभी प्रकार के कोर्सस को उत्तीर्ण करना आवश्यक है तथा अंतिम परिणाम जो कि CGPA के रूप में होगा, सभी कोर्सस में अर्जित ग्रेड्स पर निर्भर करेगा। किन्तु वर्ष के अन्त में उपाधि हेतु कुल अर्जित क्रेडिट में कुछ क्रेडिट की छूट होगी।

7- पाठ्य सामग्री हेतु मानक के संदर्भ में सभी कार्यक्रमों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक विषय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एक न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) होगा। विश्वविद्यालयों में पाठ्य समितियों (Boards of Studies) को इस सामान्य न्यूनतम पाठ्यक्रम में निर्धारित न्यूनतम 70% के साथ अपना पाठ्यक्रम (Syllabus) विकसित करना होगा (अधिकतम की कोई सीमा नहीं है)। आगे आने वाले सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम (Syllabus) उत्तरोत्तर जटिल एवं अनंत सम्भावना युक्त होना चाहिए। सभी सेमेस्टर में प्रश्न-पत्रों के शीर्षक व कार्यक्रम संरचना सभी कक्षाओं/वर्षों में, समस्त विश्वविद्यालयों में समान होगा। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालयों के मध्य एकरूपता और सुचारु स्थानांतरण के लिए है। उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय से प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालय को क्रेडिट के हस्तांतरण की अनुमति अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (ए.बी.सी) के माध्यम से दी जायेगी, जिसे प्रत्येक विश्वविद्यालय अपने डाटा सेन्टर द्वारा प्रबंधित करेगा।

अनुरोध है कि प्रस्तावित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव दिनांक 20, फरवरी 2021 तक अवश्य उपलब्ध करा दें जिससे पाठ्यक्रमों को ससमय अन्तिम रूप दिया जा सके।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीया,



(मोनिका एस. गर्ग)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या- (1)/सत्तर-3-2021/16(26)/2011 तदिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिराभवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वांछित सूचना संकलित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 3- राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम पुनर्संरचना समिति के सदस्य।

आज्ञा से,

(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)

विशेष सचिव।


Designation Wise

Vice-Chancellor	0
Pro-VC	0
Dean	8
Principal	3
Professor	9
Associate Professor	39
Assistant Professor	102
Lecturer	12
Industrialist	0
Retired Academician	0
Research Scholar	11
Student	11
Scientist	0
Other	6
Parents	1
	202

Subject wise

Other/ Co-Curricular/ Compulsory Course	45
Agriculture,	3
Anthropology	4
Botany,	5
Chemistry,	3
Commerce	11
Computer Science,	5
Defense and strategic Studies,	3
Defense studies,	0
Economics ,	3
Education,	10
English,	7
Fine arts,	1
Geography,	8
Geology	0
Hindi,	5
History (Ancient Indian History, archaeology and culture),	1
History (Modern and medieval),	3
Home Science,	3
Law,	0
Management	5
Mathematics,	6
Philosophy,	0
Physical Education,	15
Physics,	7
Political Science,	4
Psychology,	11
Sanskrit,	2
Social Work	1
Sociology	2
Statistics,	1
Teacher Education (BEd)	7
Urdu	0
Zoology	21
Total	202


Feedback analysis report of Syllabus submitted by stockholder



क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम NEP-2020 के उद्देश्य को पूरा करेगा? Do you think that the syllabus will fulfill the objective of NEP-2020?

202 responses

Yes	139
No	22
Maybe	41




● Yes
● No
● Maybe

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम में कौशल सामग्री शामिल है? Do you think the syllabus included the skill content?

202 responses

Yes	149
No	24
Maybe	29




● Yes
● No
● Maybe

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम अनुसंधान-उन्मुख है? Do you think that the syllabus is research-oriented?

202 responses

Yes	137
No	29
Maybe	36



● Yes
● No
● Maybe

क्या आपको लगता है कि पाठ्यक्रम भविष्य-उन्मुख है? Do you think that the syllabus is future-oriented?

202 responses

Yes	149
No	26
Maybe	27



क्या आपको लगता है कि भारतीय ज्ञान और सांस्कृतिक परंपरा पाठ्यक्रम में शामिल है? Do you think that the Indian cultural/ traditional knowledge included in the syllabus?

202 responses

Yes	126
No	29
Maybe	47



प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2021

विषय:-राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के परिप्रेक्ष्य विश्वविद्यालयों में टास्क फोर्स एवं महाविद्यालयों में क्रियान्वयन समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन में विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नीति के लगभग 70% प्राविधानों का क्रियान्वयन विश्वविद्यालय को अपने स्तर से ही करना है। इस कार्ययोजना के क्रियान्वयन का आधार शिक्षक हैं। अतः कार्यशालाओं के माध्यम से उनका उन्मुखीकरण (ओरियंटेशन) एवं समय-समय पर नियमित रूप से रिफ्रेशर एवं समीक्षा की उचित व्यवस्था करनी होगी। इस हेतु शैक्षिक संस्थानों के परिवेश में खुलापन एवं अकादमिक वातावरण का भी सृजन करना आवश्यक होगा। इस प्रकार सभी स्तर पर समग्रता से क्रियान्वयन की योजना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का वास्तविक एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन हो सकेगा।

2- इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय में टास्क फोर्स एवं प्रत्येक महाविद्यालय में 03-05 सदस्यीय क्रियान्वयन समिति का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार के टास्क फोर्स एवं क्रियान्वयन समिति के माध्यम से सम्बन्धित शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहभागिता से नीति का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। जब तक शिक्षकों की सहभागिता नहीं होगी, तब तक वास्तविक एवं जमीनी क्रियान्वयन सम्भव नहीं हो सकेगा।

3- विश्वविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 टास्क फोर्स मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :-

- विषय विशेषज्ञों से परामर्श
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही
- शासनादेशों का विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में समुचित क्रियान्वयन

4- महाविद्यालय स्तर पर गठित NEP-2020 क्रियान्वयन समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेंगे :-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
- शासनादेशों का समुचित क्रियान्वयन।

5- प्रत्येक शैक्षिक संस्थान के प्रमुख को सुनिश्चित करना होगा की वहाँ के प्रत्येक शिक्षक ने प्रारूप का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। शिक्षकों की सहभागिता एवं क्रियान्वयन में उनको आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का समय-समय पर समाधान करना आवश्यक होगा। शिक्षकों और वरिष्ठ छात्रों हेतु संगोष्ठियों का आयोजन जिसमें शोध-पत्र भी मंगवाए जा सकते हैं तथा आलेख प्रतियोगिता आदि गतिविधियों के माध्यम से भी उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक शैक्षिक संस्थान द्वारा कम से कम एक संगोष्ठी प्रत्येक माह होनी चाहिए। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के माध्यम से कमबद्ध संगोष्ठियों का आयोजन अपेक्षित है जिसमें शुरुआत में शिक्षा नीति की समग्रता पर एवं दूसरे चरण में उच्च शिक्षा, शिक्षा नीति एवं भारतीय भाषा, शिक्षा नीति एवं भारतीय ज्ञान परम्परा आदि, तीसरे चरण में "मेरू" (मल्टीपल एजुकेशन एण्ड रिसर्च यूनिट), एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एग्जिट एण्ड एन्ट्री आदि पर संगोष्ठी, कार्यशालाओं, ई-संगोष्ठियों का आयोजन करना होगा।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कई विश्वविद्यालयों में NEP-2020 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अनुरोध है कि शेष विश्वविद्यालय भी उक्त टास्क फोर्स का गठन करके शासन को दिनांक 25.02.2021 तक कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें एवं प्रत्येक महाविद्यालय में NEP-2020 क्रियान्वयन समिति का गठन करके निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज शासन को दिनांक 25.02.2021 तक अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,
10/2

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-474(1)/सत्तर-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- (2) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया विश्वविद्यालयों से उक्त कार्यक्रम की सूचना प्राप्त करके संकलित सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आई0डी0 hesection.3@gmail.com पर दिनांक 25.02.2021 तक उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध
संख्या-1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011

प्रेषक,
मोनिका एस. गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. कुलपति,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 01 अप्रैल, 2021

विषय- उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप पुनर्संयोजित करने के लिये शासनादेश संख्या 5240/सत्तर-3-2020 दिनांक 26-10-2020 द्वारा राज्य स्तरीय समिति तथा संकायवार सुपरवाइजरी समितियों का गठन किया गया है। साथ ही विषयवार विशेषज्ञ समूहों का भी गठन किया गया। पाठ्यक्रमों को पुनर्संयोजित करने के लिये लगभग 150 विषय विशेषज्ञों के द्वारा राज्य स्तरीय समिति एवं राज्य संकायवार सुपरवाइजरी समितियों के साथ 200 से अधिक वर्चुअल बैठकों के माध्यम से चर्चा कर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश में स्टैकहोल्डर्स से सुझाव प्राप्त करने के लिये राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

तदक्रम में कुल 416 फीडबैक प्राप्त हुए, जिसमें से 27 प्रतिशत फीड बैक को विषय विशेषज्ञों द्वारा समिति में चर्चा करने के पश्चात आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया गया। फीडबैक के अनुसार संशोधन करने के पश्चात प्रथम फेज में स्नातक कला एवं मानविकी (16 विषय), भाषा (4 विषय), विज्ञान (9 विषय), बी०कॉम, बी०एड०, बी०बी०ए०, बी०एल०आई०एस० तथा अनिवार्य को-करीकुलर (6 विषय) के निम्नलिखित विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम वेबसाइट (<http://uphed.gov.in/page/council/en/nep-2020>) पर अपलोड कर दिये गये हैं तथा शेष विषयों तथा स्नातकोत्तर के अंतिम रूप से तैयार पाठ्यक्रम भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जायेंगे।

कला एवं मानविकी विषय	विज्ञान विषय	भाषा विषय	अनिवार्य को-करीकुलर विषय	अन्य संकाय
एथ्नोपॉलोजी	कृषि	संस्कृत	खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता	बी०कॉम
रक्षा एवं संरचनात्मक अध्ययन	वनस्पति विज्ञान	हिन्दी	प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	बी०एड०
अर्थशास्त्र	रसायन शास्त्र	अंग्रेजी	शारीरिक शिक्षा एवं योग	बी०बी०ए०
शिक्षाशास्त्र	कम्प्यूटर विज्ञान	उर्दू	मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन	बी०एल०आई०एस०
ललित कला	भूगर्भ शास्त्र		विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस	
सूगोल	गणित		संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास	

इतिहास (प्राचीन)	भातक विज्ञान			
इतिहास(आधुनिक)	सखियकी			
गृह विज्ञान	जन्तु विज्ञान			
विधि				
दर्शनशास्त्र				
शारीरिक शिक्षा				
राजनीति शास्त्र				
मनोविज्ञान				
समाजशास्त्र				
समाजिक कार्य				

3- शासनादेश संख्या-438/सत्तर-3-2021(16)26/2011 दिनांक 08-02-2021 के द्वारा पूर्व में नये पाठ्यक्रम की विशेषतायें, संरचना का आधार, सी0बी0सी0एस0, क्रेडिट, क्रेडिट स्थानंतरण, अनिवार्य को-करीकुलर एवं विषय चुनाव एवं उन्हें लागू करने के सम्बंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

4- अनुरोध है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15.05.2021 तक विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन कर उसे शैक्षिक सत्र 2021-22 से लागू करने हेतु अन्य आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें, जिससे शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन किया जा सके:-

- न्यूनतम समान पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रत्येक विश्वविद्यालय में लागू होगा, शेष 30 प्रतिशत पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप लागू कर सकेंगे। न्यूनतम समान पाठ्यक्रम की संरचना में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक विषय के पेपर के शीर्षक सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे जिससे भविष्य में आसानी से प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के क्रेडिट स्थानांतरित हो सकें।
- विश्वविद्यालयों की बोर्ड आफ स्टडीज द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम की प्रति उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद उ0प्र0 को उपलब्ध करायी जाये।
- उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर शेष पाठ्यक्रम भी समय-समय पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं, जिनको भी उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज के द्वारा अधिकतम 30 प्रतिशत तक आवश्यक परिवर्तन एवं संशोधन के पश्चात अनुमोदन कर परिषद को उपलब्ध कराया जायेगा।

विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया-

- सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/ Commerce/ Management etc) का चुनाव करेगा।
- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को संबन्धित संकाय में प्रवेश देगा।
- तत्पश्चात विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है।
- इसके बाद विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर हेतु एक माइनर विषय किसी दूसरे संकाय से लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय आवंटित किया जायेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में एक राजगार परक पाठ्यक्रम लेना होगा।

किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया-

- विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास (Exit) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी ।
- विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी ।
- विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा ।
- Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी ।

डिग्री का संकाय एवं पूर्ण करने की अवधि-

- विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तदनुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी ।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी ।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें-

- विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू0जी0सी0/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड़ सकेंगे । यू0जी0सी0 के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे ।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है ।
- यदि कोई योग्य छात्र कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी । अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- विद्यार्थी को कोर्स आधार पर पंजीकरण की सुविधा प्राप्त होगी, जिस आधार पर वे किसी एक कोर्स का अध्ययन कर सकेंगे ।
- अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा । एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा ।

परीक्षा व्यवस्था -

- सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्ट्राईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा ।
- सभी विषयों की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत वाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी ।
- सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य को-करीकुलर विषय की परीक्षा बहु विकल्पीय (MCQ) आधार पर होगी ।

5- अग्रेतर यह अवगत कराना है कि उक्त संरचना नूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएं, प्रबंधन, कृषि तथा विधि संकायों पर लागू होंगी ।

6- स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के 46 क्रेडिट होंगे जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो

सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर प्रमाण पत्र (Certificate) प्रदान किया जा सकता है।

द्वितीय वर्ष के 92 क्रेडिट होंगे, जिसमें तीन प्रमुख विषय, एक माइनर विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर डिप्लोमा (Diploma) प्रदान किया जा सकता है।

तृतीय वर्ष के 138 क्रेडिट होंगे जिसमें दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम/एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम तथा एक माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे जिसे उत्तीर्ण करने पर स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree) प्रदान की जायेगी।

चौथे वर्ष के 194 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय तथा एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने पर शोध के साथ स्नातक की डिग्री (Bachelor's Degree with Research) प्रदान की जायेगी।

पांचवें वर्ष के 246 क्रेडिट होंगे जिसमें एक प्रमुख विषय, एक माइनर विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त मास्टर डिग्री (Master's Degree) प्रदान की जायेगी।

छठे वर्ष के उपरान्त Post Graduate Diploma in Research (PGDR) प्रदान किया जा सकता है।

सातवें और आठवें वर्ष में अनुसंधान पद्धति तथा प्रमुख विषय एवं एक प्रमुख अनुसंधान परियोजना सम्मिलित होगी जिसे उत्तीर्ण करने के उपरान्त पी-एचडी (Ph.D.) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

7- प्रत्येक विषय के प्रमुख कोर पाठ्यक्रमों के लिए सामान्यतः न्यूनतम 70 प्रतिशत पाठ्यक्रम उपरोक्तानुसार लागू किया जायेगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर में प्रत्येक सेमेस्टर के समान पेपर शीर्षक होंगे। यूनिफॉर्म क्रेडिट और ग्रैडिंग सिस्टम का निर्धारण किया जायेगा। प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश व्यवस्था प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8- पहले दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-602 /सत्तर-3-2021-08(35)/2020, दिनांक 22.02.2021 द्वारा अवगत कराया गया है।

9- अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सफल क्रियान्वयन हेतु अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट तथा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पर समयबद्ध रूप से कार्य करते हुए 30 जून, 2021 तक इन्हें पूर्ण कर लिया जाये, साथ ही एन0एस0एन0ई0, आई0टी0आई0 और पॉलीटेक्निक के साथ एम0ओ0यू0 किये जाये ताकि विद्यार्थियों को शैक्षिक लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए एवं संसाधनों में वृद्धि करने के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर प्रभावी योजना तैयार कर कार्यवाही की जानी चाहिए।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मोनिका ए.स.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 1065 (1)/सत्तर-3-2021-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
- (2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (3) अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-3
संख्या- 15 67/सत्तर-3-2021-16(26)/2011टी.सी.
लखनऊ : दिनांक : 13 जुलाई, 2021

1. कुलसचिव
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।
2. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,
प्रयागराज।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू किए जाने हेतु जारी शासनादेश दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में प्राप्त पृच्छाओं के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूची के अनुसार त्रिवर्षीय स्नातक (तीन विषय विकल्प आधारित) स्तर के 62 पाठ्यक्रम तैयार किये जा चुके हैं, जिन्हें ई-मेल द्वारा आपको उपलब्ध करा दिया गया है तथा उ०प्र०राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट (<http://uphed.gov.in/Council/NEETI2021.aspx>) पर अपलोड किया जा चुका है। स्नातक (शोध सहित) एवं परास्नातक विषयों के पाठ्यक्रमों की सूची एवं जानकारी कालान्तर में उपलब्ध करा दी जायेगी। यदि उ०प्र०राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट में वर्णित विषयों के अतिरिक्त आपके विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर कोई अन्य विषय संचालित है, तो उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए तीन विषय विशेषज्ञों के नाम गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय। यदि कोई विषय एक से अधिक विश्वविद्यालयों में चल रहा हो, तो वह भी सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरूप ही लागू होगा तथा उन विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराए गए विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुए 'विषय विशेषज्ञ समूह' गठित किया जाएगा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम तैयार करेंगे। स्नातक स्तर पर तृतीय वर्ष में संचालित मुख्य विषय के किसी पेपर का इलेक्ट्रिक पेपर के रूप में अन्य पाठ्यक्रम (सिलेबस) का सुझाव विषय विशेषज्ञों से आमंत्रित है वे अपने सुझाव गूगल लिंक (<https://forms.gle/vPP7c7Av2kUFGJiX9>) पर दे सकते हैं।

2- शासनादेश संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 20-04-2021 के तारतम्य में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समान पाठ्यक्रम एवं "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम के संबंध में प्राप्त पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत् स्पष्ट किया जाता है:-

1. न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus)

- 1.1 विश्वविद्यालय न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के रूप में उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रम में से कम से कम 70 प्रतिशत समान रखेंगे। उदाहरण के लिये यदि किसी पेपर हेतु तैयार किए गए न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में 100 टॉपिक हैं, तो विश्वविद्यालय उनमें से कम से कम 70 टॉपिक रखेंगे तथा उसके अतिरिक्त 30, 40, 50 या कितने भी टॉपिक विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप रख सकते हैं।
- 1.2 पाठ्यक्रम संरचना में एक पेपर के क्रेडिट निर्धारित किए गए हैं; उस पेपर में सम्मिलित टॉपिक्स हेतु कितने-कितने क्रेडिट (व्याख्यानों की संख्या) रखे जाएंगे, यह विश्वविद्यालय तय करेगा।
- 1.3 सूच्य है कि वर्तमान में विश्वविद्यालयों में संचालित तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अधिकांश विषयों के कन्टेन्ट में 70-80 प्रतिशत तक टॉपिक तीन वर्ष में समान हैं तथा तीन वर्ष के दौरान किसी एक वर्ष में पढाये जा रहे हैं।

2. क्षेत्र (Scope)-

- 2.1 यह व्यवस्था चिकित्सा (Medicine and Dental etc.) एवं तकनीकी शिक्षा (B.Tech, MCA etc.) के अतिरिक्त सभी संकायों के कार्यक्रमों पर लागू होगी।
- 2.2 विधि (बी0ए0-एल0एल0बी0, बी0एस0सी-एल0एल0बी0, एल0एल0बी0, एल0एल0एम0, इत्यादि), शिक्षक शिक्षा (बी.एड., एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड., इत्यादि) के लिये व्यवस्था का निर्धारण उनकी नियामक संस्थाओं के एन.ई.पी-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना के आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (शोध सहित) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एस0सी0, एम0कॉम, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

- 3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।
- 3.2.2 विभिन्न विश्वविद्यालय में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है वह यथावत् रहेगी। संकायों का गठन किस प्रकार किया जाएगा, यह विश्वविद्यालय स्तर पर तय किया जाता है।
- 3.2.3 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों के वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या 1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011 दिनांक 15-06-2021 के अनुसार होगी। भाषा संकाय एवं ग्रामीण अध्ययन संकाय को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री कला संकाय (B.A.)की मिलेगी।

3.3 विषय (Subject)-यथा

- 3.3.1 संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।
- 3.3.2 एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course/Paper)- यथा

- 3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्राैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।
- 3.4.2 थ्योरी और प्राैक्टिकल के पेपर्स/प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय सारणी

सभी विश्वविद्यालय स्वयं तथा अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले कालेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

- 4.1 तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी0ए0, बी0एस0सी0 आदि) व बी0कॉम0 में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 से लागू होगा।
- 4.2 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 4.3 बी0ए0/बी0एस0सी0 ऑनर्स तथा एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में सी0बी0सी0एस0 आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लागू होगा।
- 4.4 पी0एच0डी0कार्यक्रम में नवीन व्यवस्था सत्र 2022-23 से लागू होगी।

5. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

- 5.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- 5.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 5.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 5.4 छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- 5.5 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 5.6 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own faculty or Other faculty)से लेना होगा। इसके लिये किसी भी pre-requisiteकी आवश्यकता नहीं होगी।
- 5.7 बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिये स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 5.8 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other faculty) से हो।
- 5.9 स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव अन्य संकाय से करना होगा।
- 5.10 विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवें एवं छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 5.11 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 5.12 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के पेपर में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएँ फ़ैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।
- 5.13 सभी विषय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय के छात्रों के लिये माइनर इलेक्टिव पेपर (4 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलेक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्वत परिषद इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलेक्टिव पेपर की कक्षाएँ विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में अलग से होंगी एवं परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होगी।

6. कौशल विकास कोर्स (Vocational/ Skill development Courses)

- 6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

7. सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

- 7.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टरर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 7.2 इन छः सह-विषयों के पाठ्यक्रम उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।
- 7.3 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

8. शोध परियोजना (Research Project)

- 8.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/पी.जी.डी.आर. स्तर पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (पांचवें से ग्यारवें सेमेस्टर तक) में शोध परियोजना करनी होगी। विद्यार्थी को तीसरे वर्ष में लघु शोध परियोजना तथा चतुर्थ व पंचम वर्ष में वृहद् शोध परियोजना करनी होगी। पी.जी.डी.आर. में शोध परियोजना का स्वरूप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेगा।
- 8.2 विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय एवं चतुर्थ, पंचम, षष्ठम वर्ष के मुख्य विषय से सम्बंधित शोध परियोजना करनी होगी। यह शोध परियोजना *interdisciplinary* भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग/इन्टर्नशिप/ सर्वे वर्क इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।
- 8.3 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाइजर के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को-सुपरवाइजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।
- 8.4 विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त प्रबंध (Report/Dissertaion) जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में सुपरवाइजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा।
- 8.5 स्नातक स्तर एवं पी.जी.डी.आर. के विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे परन्तु उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 8.6 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में चार क्रेडिट की शोध परियोजना करनी होगी। शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी.जी.पी.ए. की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

9. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 9.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।
- 9.2 प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- 9.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 9.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट

अर्जित करने पर चर्तुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है ।

एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा । उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे । यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (surrender) कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46)क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है । इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी । यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है ।

- 9.5 यदि कोई योग्य छात्र (Fast learner) कम समय में डिग्री के लिये आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिये स्वतंत्र होगा ।
- 9.6 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे ।
- 9.7 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 9.8 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजुकेशन (B.L.Ed.)की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्विजिट (prerequisite)की आवश्यकता नहीं होगी।
- 9.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit)कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है ।

10. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण

- 10.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे ।
- 10.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी ।
- 10.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है । उसे पुनः कक्षाएँ लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

11. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time table)

- 11.1 विश्वविद्यालय सभी शिक्षण संस्थानों हेतु प्रवेश नियमावली तथा प्रक्रिया शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुरूप एक माह के भीतर तैयार करना सुनिश्चित करें जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का समयान्तर्गत सत्र 2021-22 से क्रियान्वयन किया जा सके।
- 11.2 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि सभी शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व अपनी समय-सारणी (Time table) तैयार कर लें, जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य

संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होतीं हों तथा उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो ।

11.3 सभी शिक्षण संस्थान समय-सारणी (Time table) ऐसे तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हों ।

3- विश्वविद्यालयों से अपेक्षा है कि कृपया शासनादेश सं० 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 से "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर आधारित सेमेस्टर सिस्टम एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को लागू करना सुनिश्चित करें, ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के मध्य अकादमिक क्रेडिट ट्रांसफर सम्भव हो सके।

संलग्नक-यथोक्त।

(मोनिका एस.गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1567 (1)/सत्तर-3-2021, तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कुलपति, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ०प्र०।
- 2- अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।

आज्ञा से

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

14. स्नातक व स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

		Subject I	Subject II	Subject III	Subject IV	Vocational	Co-Curricular	Industrial Training/ Survey/ Research Project	{Minimum Credits} For the year	{Cummulative Minimum Credits} Required for Award of Certificate/ Diploma/ Degree
		Major	Major	Major	Minor Elective	Minor	Minor	Major		
		4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	4/5/6 Credits	3 Credits		4 Credits		
Year	Sem.	Own Faculty	Own Faculty	Own/ Other Faculty	OtherSubject/ Faculty	Vocational/ Skill Development Course	Co-CurricularCourse (Qualifying)	Inter/Intra Faculty related to main Subject		
1	I	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{46} Certificate in Faculty
	II	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
2	III	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	1 (4/5/6)	1	1		46	{92} Diploma in Faculty
	IV	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)	Th-1(6) or Th-1(4)+ Pract-1(2)		1	1			
3	V	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)	40	{132} Bachelor in Faculty
	VI	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)	Th-2(5) or Th-2(4)+ Pract-1(2)				1	1 (Qualifying)		
4	VII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)			1 (4/5/6)			1 (4)	52	{184} Bachelor (Research) in Faculty
	VIII	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
5	IX	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)	48	{232} Master in Faculty
	X	Th-4(5) or Th-4(4)+ Pract-1(4)						1 (4)		
6	XI	2 (6)	1 Research (4)Methodology					1 (Qualifying)	16	{248} PGDR in Subject
6,7,8	XII-XVI							Ph. D. Thesis		Ph.D. in Subject

Note:Blue Colour: No. of papers Red colour: Credits Purple colour: Non-Credit Qualifying Courses; Th-Theory, Pract-Practical

क्र.सं.	सह-पाठ्यचर्या/अनिवार्य विषय	कला और मानविकी विषय	भाषा के विषय	विज्ञान विषय	वाणिज्य विषय	प्रबंधन विषय	शिक्षक शिक्षा विषय	एकल विषय	कौशल विषय
1	संचार कौशल और व्यक्तित्व विकास साइज: 158KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	सामाजिक कार्य साइज: 586KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	हिंदी साइज: 697KB भाषा: Hindi अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी	सांख्यिकी साइज: 1.12MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	बी.कॉम. साइज: 557KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	बीबीए-पर्यटन प्रबंधन साइज: 747 भाषा: English अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी	बी.एड. साइज: 1.63MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 30/05/2021 कोर्स: यूंजी	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक (बी एल आई एस सी) साइज: 498KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 03/06/2021 कोर्स: यूंजी	
2	शारीरिक शिक्षा और योग साइज: 161KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	समाज शास्त्र साइज: 605KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	संस्कृत साइज: 822KB भाषा: Hindi अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी	सूचान प्रौद्योगिकी साइज: 1271 भाषा: English अपलोड की तिथि: 03/06/2021 कोर्स: यूंजी		बीबीए-प्रबंधन विज्ञान साइज: 743 भाषा: English अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी			
3	विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता	संगीत-सितार साइज: 686 भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	फ्रेंच साइज: 446 भाषा: English अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी	सूक्ष्मजैविकी साइज: 772 भाषा: English अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी		बीबीए-नया पाठ्यक्रम साइज: 678 भाषा: English			

	साइज: 151KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी	तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यूंजी	तिथि: 03/06/2021 कोर्स: यूंजी		अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी			
4	<u>मानव मूल्यों और पर्यावरण अध्ययन</u> साइज: 220KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>संगीत-तबला</u> साइज: 600 भाषा: English अपलोड की तिथि: 02/07/2021 कोर्स: यूंजी	<u>पाली</u> साइज: 924 भाषा: English अपलोड की तिथि: 26/07/2021 कोर्स: यूंजी	<u>वनस्पति विज्ञान</u> साइज: 1.68MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 30/05/2021 कोर्स: यूंजी		<u>बीबीए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार</u> साइज: 835 भाषा: English अपलोड की तिथि: 26/05/2021 कोर्स: यूंजी			
5	<u>भोजन, पोषण और स्वच्छता</u> साइज: 130KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>संगीत-गायन</u> साइज: 600 भाषा: English अपलोड की तिथि: 02/07/2021 कोर्स: यूंजी	<u>पंजाबी</u> साइज: 1460 भाषा: English अपलोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>रसायन विज्ञान</u> साइज: 1.01MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					
6	<u>प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य</u> साइज: 301KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>शिक्षा</u> साइज: 650KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>उर्दू</u> साइज: 1.11MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>भौतिक विज्ञान</u> साइज: 701KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					

7		<u>शारीरिक शिक्षा</u> साइज: 1.24MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>अरबी</u> साइज: 1117 भाषा: English अपलोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>भूगर्भशास्त्र</u> साइज: 418KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					
8		<u>विज्ञापन बिक्री संवर्धन और बिक्री प्रबंधन</u> साइज: 666 भाषा: English अपलोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>अंग्रेजी</u> साइज: 497KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी	<u>बीज प्रौद्योगिकी</u> साइज: 1092 भाषा: English अपलोड की तिथि: 31/07/2021 कोर्स: यूंजी					
9		<u>लोक प्रशासन</u> साइज: 438 भाषा: English अपलोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यूंजी		<u>बायोकेमिस्ट्री</u> साइज: 709 भाषा: English अपलोड की तिथि: 02/07/2021 कोर्स: यूंजी					
10		<u>लोक नृत्य</u> साइज: 849 भाषा: English अपलोड की तिथि: 11/07/2021 कोर्स: यूंजी		<u>प्राणि विज्ञान</u> साइज: 734KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					

11		<u>ललित कला</u> साइज: 689 भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी		<u>गणित</u> साइज: 668KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					
12		<u>राजनीति विज्ञान</u> साइज: 541KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी		<u>कृषि</u> साइज: 452KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					
13		<u>रक्षा और सामरिक अध्ययन</u> साइज: 781KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी		<u>कंप्यूटर विज्ञान</u> साइज: 1.03MB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यूंजी					
14		<u>मानव अधिकार</u> साइज: 584 भाषा: English अपलोड की तिथि: 30/05/2021 कोर्स: यूंजी		<u>औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान</u> साइज: 732 भाषा: English अपलोड की तिथि: 04/06/2021 कोर्स: यूंजी					

15		<u>महिला अध्ययन</u> साइज: 506 भा षा: English अप लोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यू०जी		<u>इलेक्ट्रानिक्स</u> साइज: 986 भा षा: English अप लोड की तिथि: 03/06/2021 कोर्स: यू०जी					
16		<u>मनोविज्ञान</u> साइज: 790KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी		<u>आनुवंशिकी एवं जीनोमिक्स</u> साइज: 842 भा षा: English अप लोड की तिथि: 04/06/2021 कोर्स: यू०जी					
17		<u>भूगोल</u> साइज: 587KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी							
18		<u>बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा</u> साइज: 730 भा षा: English अप लोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यू०जी							

19		<p>पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान साइज: 760 भा षा: English अप लोड की तिथि: 03/06/2021 कोर्स: यू०जी</p>							
20		<p>पुरातत्व और संग्रहालय साइज: 1117 भा षा: English अप लोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							
21		<p>पत्रकारिता साइज: 1068 भा षा: English अप लोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							
22		<p>नृत्य-कथक साइज: 712 भा षा: English अप लोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							

23		<u>दर्शन</u> साइज: 337KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी							
24		<u>चित्रांकन और रंगाई (ड्राइंग और पेंटिंग)</u> साइज: 794 भा षा: English अप लोड की तिथि: 15/07/2021 कोर्स: यू०जी							
25		<u>गृह विज्ञान</u> साइज: 841KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी							
26		<u>कार्यालय प्रबंधन और सचिवीय अभ्यास</u> साइज: 907 भा षा: English अप लोड की तिथि: 28/05/2021 कोर्स: यू०जी							

27		<p><u>कानून</u> साइज: 668KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							
28		<p><u>एंथ्रोपोलॉजी</u> साइज: 998KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							
29		<p><u>इतिहास (प्राचीन भारतीय इतिहास पुरातत्व और संस्कृति)</u> साइज: 401KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							
30		<p><u>इतिहास (आधुनिक और मध्ययुगीन)</u> साइज: 650KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी</p>							

31		<u>अर्थशास्त्र</u> साइज: 495KB भाषा: English अपलोड की तिथि: 25/05/2021 कोर्स: यू०जी							
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

विषय के नाम पर क्लिक करके स्नातक (यूजी) का पाठ्यक्रम डाउनलोड करें।

S.No.	Co-curricular/ Compulsory subject	Art & Humanities Subjects	Language subjects	Science Subjects	Commer ce subjects	Management subjects	Teache rs educati on subject s	Single subjects	Skill subjects
1	Communica tion Skills and Personality Developme nt	Social Work	Hindi				B.Ed.	Bachelor in Library and Informati on Science (BLISC)	
2	Physical Education and Yoga	Sociology	Sanskrit						
3	Analytical Ability and Digital Awareness	Music-Sitar	French	Microbiology		BBA-NEW Syllabus	Statisti cs	B. Com	BBA- Tourism Manage ment
4	Human Values and Environmen tal Studies	Music-Tabla	Pali	Botany		BBA International Business	Inform ation Techno logy		BBA - Managem ent Science
5	Food, nutrition and hygiene	Music-Singing	Punjabi	Chemistry					
6	First aid and Health	Education	Urdu	Physics					

7		Physical Education	Arbi	Geology					
8		Advertising Sales Promotion and Sales Management	English	Seed Technology					
9		Public Administration		Biochemistry					
10		Folk dance		zoology					
11		Fine arts		Mathematics					
12		Political Science		Agriculture					
13		Defense and Strategic Studies		Computer Science					
14		Human Rights		Industrial Microbiology					

15		women's studies		Electronics					
16		Psychology		Genetics and Genomics					
17		Geography							
18		Early Childhood care and Education							
19		Library and Information Science							
20		Archeology and Museum							
21		Journalism							
22		Dance-Kathak							
23		Philosophy							

24		Painting and Dyeing (Drawing and Painting)							
25		Home Science							
26		Office Management and Secretarial Practice							
27		Law							
28		Anthropology							
29		History (Ancient Indian History, Archeology and Culture)							
30		History (Modern and Medieval)							

31		Economics							
----	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--